

## विषय सूची

|  | अनुच्छेद | पृष्ठ    |
|--|----------|----------|
| प्राक्कथन  |          | v        |
| संक्षिप्त अवलोकन   |          | vi i -xi |
| <b>अध्याय 1</b>  |          |          |
| <b>प्रस्तावना</b>  |          |          |
| बजट प्रोफाइल   | 1.1      | 1        |
| राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग   | 1.2      | 1        |
| अनवरत बचतें  | 1.3      | 2        |
| भारत सरकार से सहायता अनुदान  | 1.4      | 3        |
| लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन  | 1.5      | 3-4      |
| महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर  | 1.6      | 4        |
| लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां  | 1.7      | 4        |
| लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता  | 1.8      | 5-6      |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन  | 1.9      | 6-8      |
| राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों और सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति  | 1.10     | 8        |
| <b>अध्याय 2</b>  |          |          |
| <b>सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (विभाग)</b>   |          |          |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग<br>कम ब्याज प्रभारों के विलंबित दावे के कारण राज्य के राजकोष को हानि | 2.1      | 9-11     |
| निगरानी पर अनियमित व्यय  | 2.2      | 11-13    |
| खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग<br>सरकारी निधियों की पार्किंग   | 2.3      | 13-15    |
| नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)<br>पट्टा धन की अवसूली के कारण हानि                       | 2.4      | 15-17    |
| ठेकेदार से क्षतिपूर्ति की अवसूली   | 2.5      | 18-19    |
| श्रम विभाग<br>अस्वीकृत चेकों के विरुद्ध नियोक्ताओं से वसूली योग्य राशि   | 2.6      | 20-21    |
| शहरी स्थानीय निकाय विभाग<br>पेशेवर सेवा प्रदाता को अधिक भुगतान   | 2.7      | 21-24    |
| जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग<br>भूमि की खरीद पर अतिरिक्त व्यय   | 2.8      | 24-26    |
| अक्रियाशील जल कार्यों पर व्यर्थ व्यय   | 2.9      | 26-28    |

|  | अनुच्छेद | पृष्ठ |
|--|----------|-------|
| <b>अध्याय 3</b>  |          |       |
| <b>सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)</b>   |          |       |
| हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र<br>हरियाणा में बिजली की खरीद   | 3.1      | 29-40 |
| उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड<br>म्हारा गांव जगमग गांव योजना का कार्यान्वयन   | 3.2      | 40-50 |
| दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड<br>अंतरीय टैरिफ की अवसूली  | 3.3      | 51-52 |
| हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड<br>प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना | 3.4      | 52-55 |
| विस्तारण फीस का अनुद्ग्रहण   | 3.5      | 55-57 |
| हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड<br>धान की हेराफेरी  | 3.6      | 57-60 |
| समय पर वैट जमा न करने के कारण ब्याज/पेनल्टी  | 3.7      | 60-61 |
| हरियाणा राज्य भंडारण निगम<br>गेहूं के स्टॉक का नुकसान  | 3.8      | 61-63 |
| धान/कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी   | 3.9      | 63-65 |
| हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड<br>खराब वित्तीय प्रबंधन   | 3.10     | 65-67 |

## परिशिष्ट

| परिशिष्ट | विवरण  | संदर्भ   |       |
|----------|--|----------|-------|
|          |  | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| 1.1      | क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी  | 1.1      | 69-72 |
| 1.2      | श्रेणीवार बकाया अनुच्छेदों की राशि को दर्शाने वाली विवरणी  | 1.8      | 73    |
| 1.3      | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के श्रेणीवार बकाया अनुच्छेदों की राशि को दर्शाने वाली विवरणी  | 1.8      | 74    |
| 1.4      | वर्ष 2017-18 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की 30 नवंबर 2020 तक की रिपोर्ट की सूची)                          | 1.9.1    | 75    |
| 1.5      | उन अनुच्छेदों की सूची जहां वसूली के लिए इंगित किया गया लेकिन 31 मार्च 2020 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर कोई कार्रवाई नहीं की गई | 1.9.1    | 76-77 |
| 1.6      | 31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रतिवेदनों के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण                       | 1.9.1    | 78    |
| 1.7      | स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण को दर्शाने वाली विवरणी                                | 1.10     | 79-81 |
| 2.1      | ब्याज प्रभारों के दावे/प्राप्ति में विलंब और राज्य पर परिणामी परिहार्य ब्याज भार का विवरण दर्शाने वाली विवरणी  | 2.1      | 82    |
| 2.2      | लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तीन जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा दावा किए गए कम ब्याज प्रभारों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी, जिनका बाद में दावा किया गया और प्राप्त किया गया                          | 2.1      | 83    |
| 2.3      | अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अतिरिक्त चौकीदारों की तैनाती पर अनियमित व्यय का विवरण दर्शाने वाली विवरणी  | 2.2      | 84    |
| 2.4      | खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 के दौरान किए गए भुगतान का विवरण दर्शाने वाली विवरणी  | 2.2      | 85    |

| परिशिष्ट | विवरण   | संदर्भ   |       |
|----------|---|----------|-------|
|          |   | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| 2.5      | निधियों को जारी करने, सरकारी लेखाओं के बाहर निधियों को जमा करने और राज्य को परिणामी ब्याज हानि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 2.3      | 86    |
| 2.6      | जोखिम और लागत पर शेष कार्य के आवंटन के कारण मूल ठेकेदार से वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाली विवरणी                          | 2.5      | 87    |
| 2.7      | खरीद की लागत के साथ खरीदी गई भूमि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी  | 2.8      | 88    |